

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद
(पाठासीन अधिकारी - राकेश कुमार न्योल, आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :- 19/2022

दायर दिनांक :- 09.02.2022

निर्णय दिनांक :- 14.08.2025

अनवान्

1. रामगोपाल पिता गोविन्दराम महाजन निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द वादीया

बनाम

1. चन्द्रकांता पुत्री चतुर्भुज पत्नी राजेश महाजन निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द हाल निवासी महिला आश्रम रोड भीलवाडा
2. तुलसीबाई पत्नी स्व. मांगीलाल माली निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. तुलसीराम पुत्र प्रताप माली निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद ।
4. दीपक कुमार पुत्र चतुर्भुज महाजन निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. प्रेमदेवी पत्नी स्वर्गीय चतुर्भुज महाजन निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद ।
6. बदामबाई पुत्री मांगीलाल माली निवासी गिलुण्ड हाल निवासी पांडोली तह. व जिला चितोडगढ
7. भगुबाई पुत्री मांगीलाल पत्नि पन्नालाल माली निवासी गिलुण्ड हाल निवासी जाशमा तह. कपासन जिला चितोडगढ
8. भूरालाल पुत्र प्रताप माली निवासी गिलुण्ड तह. रेलमगरा जिला राजसमन्द
9. वेणीराम पुत्र मांगीलाल माली निवासी गिलुण्ड तह. रेलमगरा जिला राजसमन्द
10. शांतिबाई पुत्री मांगीलाल पत्नि नारायणलाल निवासी गिलुण्ड हाल निवासी कपासन तह. कपासन जिला चितोडगढ
11. सत्यनारायण पुत्र प्रताप माली निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
12. स्नेहाबेन उर्फ स्नेहलता पंत्री चतुर्भुज पत्नि कमलेश कुम्हार महाजन निवासी गिलुण्ड हाल निवासी चारभुजा एटरप्राइजेज 9, प्रहलाद इंडस्ट्रियल स्टेट ओडाऊ रोड रिंग रोड सर्किल के पास तह. व जिला अहमदाबाद
13. सोहनलाल पुत्र मांगीलाल माली निवासी गिलुण्ड तह. रेलमगरा जिला राजसमन्द
14. हरिप्रकाश पुत्र चतुर्भुजमहाजन निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद ।
15. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

अधिवक्ता वादीगण - श्री चावण्डसिंह शक्तावत अधिवक्ता

अधिवक्ता प्रतिवादीगण -

दिनांक - 14.08.2025

वाद बाबत विभाजन
निर्णय

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत विभाजन का प्रस्तुत किया कि ग्राम गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द की सीमा में वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त




उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

स्वामित्व की वर्तमान आराजी संख्या 3571 रकबा 1.5135 हैक्टेयर भूमियां स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात में वादी का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिस पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर अधिवक्ता वादी ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1	रामगोपाल पुत्र गोविन्दराम महाजन सा. देह खातेदार	3571 / 1	0.3783	1.63
	योग	किता- 1	0.3783	1.63
2	चन्द्रकान्ता पुत्री चतरभुज 2 / 15, दीपक कुमार पुत्र चरभुज 2 / 15, प्रेमदेवी पत्नि स्व. चतरभुज 2 / 15, स्नेहाबेन पुत्री चतरभुज 2 / 15, हरिप्रकाश पुत्र चरभुज 2 / 15, महाजन सा. देह खातेदार खेमीबाई पत्निस्व तुलसीराम रहन 1 / 72, S.B.B.J. शाखा गिलुण्ड तुलसीबाई पत्नि स्व. मांगीलाल 1 / 72, नन्दलाल पुत्र तुलसीराम 1 / 72, रहन S.B.B.J. शाखा गिलुण्ड बदामबाई पुत्री मांगीलाल 1 / 72, भगुबाई पुत्री मांगीलाल 1 / 72, भुरालाल पुत्र प्रताप 1 / 72, रेखादेवी पुत्री तुलसीराम 1 / 72, रहन S.B.B.J. शाखा गिलुण्ड रामेश्वरलाल पुत्र तुलसीराम 1 / 72, S.B.B.J. शाखा गिलुण्ड वेणीराम पुत्र मांगीलाल 1 / 72, विनोद कुमार पुत्र तुलसीराम 1 / 72, रहन S.B.B.J. शाखा गिलुण्ड शान्तिबाई पुत्री मांगीलाल 1 / 72, सत्यनारायण पुत्र प्रताप 1 / 72, सीतादेवी पुत्री तुलसीराम 1 / 72, रहन S.B.B.J. शाखा गिलुण्ड सोहनलाल पुत्र मांगीलाल 1 / 72, माली सा. देह खातेदार	3571 / 2	1.1352	4.91
	योग	किता- 1	1.1352	4.91

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। बैंक रहन पूर्वानुसार यथावत रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

आज दिनांक 14.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।



(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

मूलवाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)रेलमगरा जिला राजसमन्द
(पीठारसीन अधिकारी :- राकेश कुमार न्योल, आर0ए0एस0)
राजस्व वाद संख्या :-19/2022

वादीगण पक्ष

1. रामगोपाल पिता गोविन्दराम महाजन निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण पक्ष

1. चन्द्रकांता पुत्री चतुर्भुज पत्नी राजेश महाजन निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द हाल निवासी महिला आश्रम रोड भीलवाडा
2. तुलसीबाई पत्नी स्व. मांगीलाल माली निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. तुलसीराम पुत्र प्रताप माली निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
4. दीपक कुमार पुत्र चतुर्भुजमहाजन निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. प्रेमदेवी पत्नी स्वर्गीय चतुर्भुजमहाजन निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
6. बदामबाई पुत्री मांगीलाल माली निवासी गिलुण्ड हाल निवासी पांडोली तह. व जिला चित्तोडगढ
7. भगुबाई पुत्री मांगीलाल पत्नी पन्नालाल माली निवासी गिलुण्ड हाल निवासी जाशमा तह. कपासन जिला चित्तोडगढ
8. भूरालाल पुत्र प्रताप माली निवासी गिलुण्ड तह. रेलमगरा जिला राजसमन्द
9. वेणीराम पुत्र मांगीलाल माली निवासी गिलुण्ड तह. रेलमगरा जिला राजसमन्द
10. शांतिबाई पुत्री मांगीलाल पत्नी नारायणलाल निवासी गिलुण्ड हाल निवासी कपासन तह. कपासन जिला चित्तोडगढ
11. सत्यनारायण पुत्र प्रताप माली निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
12. स्नेहाबेन उर्फ स्नेहलता पंत्री चतुर्भुज पत्नी कमलेश कुम्हार महाजन निवासी गिलुण्ड हाल निवासी चारभुजा एटरप्राइजेज 9, प्रहलाद इंडस्ट्रियल स्टेट ओडाऊ रोड रिंग रोड सर्किल के पास तह. व जिला अहमदाबाद
13. सोहनलाल पुत्र मांगीलाल माली निवासी गिलुण्ड तह. रेलमगरा जिला राजसमन्द
14. हरिप्रकाश पुत्र चतुर्भुजमहाजन निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
15. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

उपरिथत :-

अधिवक्ता वादीगण - श्री चावण्डसिंह शक्तावत अधिवक्ता

अधिवक्ता प्रतिवादीगण -

में इस आशय में दिनांक 14.08.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द की सीमा में वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व की वर्तमान आराजी संख्या 3571 रकबा 1.5135 हैक्टेयर भूमियां स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात में वादी का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिस पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया




उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

मूलवाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)रेलमगरा जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार न्योल, आर0ए0एस0)

राजस्व वाद संख्या :-19/2022

वादीगण पक्ष

1. रामगोपाल पिता गोविन्दराम महाजन निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण पक्ष

1. चन्द्रकांता पुत्री चतुर्भुज पत्नी राजेश महाजन निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द हाल निवासी महिला आश्रम रोड भीलवाडा
2. तुलसीवाई पत्नी स्व. मांगीलाल माली निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. तुलसीराम पुत्र प्रताप माली निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
4. दीपक कुमार पुत्र चतुर्भुजमहाजन निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. प्रेमदेवी पत्नी स्वर्गीय चतुर्भुजमहाजन निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
6. बदामवाई पुत्री मांगीलाल माली निवासी गिलुण्ड हाल निवासी पांडोली तह. व जिला चित्तोडगढ
7. भगुवाई पुत्री मांगीलाल पत्नि पन्नालाल माली निवासी गिलुण्ड हाल निवासी जाशमा तह. कपासन जिला चित्तोडगढ
8. भूरालाल पुत्र प्रताप माली निवासी गिलुण्ड तह. रेलमगरा जिला राजसमन्द
9. वेणीराम पुत्र मांगीलाल माली निवासी गिलुण्ड तह. रेलमगरा जिला राजसमन्द
10. शांतिवाई पुत्री मांगीलाल पत्नि नारायणलाल निवासी गिलुण्ड हाल निवासी कपासन तह. कपासन जिला चित्तोडगढ
11. सत्यनारायण पुत्र प्रताप माली निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
12. स्नेहाबेन उर्फ स्नेहलता पंत्री चतुर्भुज पत्नि कमलेश कुम्हार महाजन निवासी गिलुण्ड हाल निवासी चारभुजा एटरप्राइजेज 9, प्रहलाद इंडस्ट्रियल स्टेट ओडाऊ रोड रिंग रोड सर्किल के पास तह. व जिला अहमदाबाद
13. सोहनलाल पुत्र मांगीलाल माली निवासी गिलुण्ड तह. रेलमगरा जिला राजसमन्द
14. हरिप्रकाश पुत्र चतुर्भुजमहाजन निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
15. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

अधिवक्ता वादीगण - श्री चावण्डसिंह शक्तावत अधिवक्ता

अधिवक्ता प्रतिवादीगण -

में इस आशय में दिनांक 14.08.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द की सीमा में वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व की वर्तमान आराजी संख्या 3571 रकबा 1.5135 हैक्टेयर भूमियां स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात में वादी का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। जिस पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया




उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

गया जिस पर अधिवक्ता वादी ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकवा	लगान
1	रामगोपाल पुत्र गोविन्दराम महाजन सा. देह खतेदार	3571 / 1	0.3783	1.63
	योग	किता- 1	0.3783	1.63
2	चन्द्रकान्ता पुत्री चतरभुज 2 / 15, दीपक कुमार पुत्र चरभुज 2 / 15, प्रेमदेवी पत्नि स्व. चतरभुज 2 / 15, रुनेहाबेन पुत्री चतरभुज 2 / 15, हरिप्रकाश पुत्र चरभुज 2 / 15, महाजन सा. देह खातेदार खेमीबाई पत्निस्व तुलसीराम रहन 1 / 72, S.B.B.J. शाखा गिलुण्ड तुलसीबाई पत्नि स्व. मांगीलाल 1 / 72, नन्दलाल पुत्र तुलसीराम 1 / 72, रहन S.B.B.J. शाखा गिलुण्ड बदामबाई पुत्री मांगीलाल 1 / 72, भगुबाई पुत्री मांगीलाल 1 / 72, भुरालाल पुत्र प्रताप 1 / 72, रेखादेवी पुत्री तुलसीराम 1 / 72, रहन S.B.B.J. शाखा गिलुण्ड रामेश्वरलाल पुत्र तुलसीराम 1 / 72, S.B.B.J. शाखा गिलुण्ड वेणीराम पुत्र मांगीलाल 1 / 72, विनोद कुमार पुत्र तुलसीराम 1 / 72, रहन S.B.B.J. शाखा गिलुण्ड शान्तिबाई पुत्री मांगीलाल 1 / 72, सत्यनारायण पुत्र प्रताप 1 / 72, सीतादेवी पुत्री तुलसीराम 1 / 72, रहन S.B.B.J. शाखा गिलुण्ड सोहनलाल पुत्र मांगीलाल 1 / 72, माली सा. देह खातेदार	3571 / 2	1.1352	4.91
	योग	किता- 1	1.1352	4.91

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

आज दिनांक 14.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।



(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

द्वारा सहायक कलेक्टर उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमन्द
क्र/कोर्ट/राजस्व प्रकरण/2025/ 41

दिनांक 19/9/25

से:-
इसीलदार रेलमगरा

विषय:-निर्णय एवं डिक्री अनुसार पालना हेतु। F 7

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नीचे अंकित प्रकरण में डिक्री व निर्णय दिनांक 14/08/2025 की प्रमाणित प्रति की छाया प्रति साथ संलग्न करा भिजवायी जा रही हैं।

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	उत्तमान		निर्णय दिनांक	नाम ग्राम
			वादी/प्रार्थी	प्रतिवादी/अप्रार्थी		
1	19/2022	दावा	रामगोपाल	चन्द्रकांता	14/08/2025	गिलुण्ड

अतः आप उक्त मामले में दिगर कोई अन्य मामला ना हो तो डिक्री व निर्णय दिनांक 14/08/2025 के अनुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार

आज्ञा से


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, रेलमगरा, राजसमन्द